न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2024/101

प्रकरण संख्या 32/24

अनवान

1. श्री सचिन सोनी पिता नटवरलाल सोनी जाति सोनी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री बावरू पिता गोकल जी कीर जाति कीर निवासी फौजवडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री नारायणलाल पिता उदा जी कीर जाति कीर निवासी फौजवडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री भेरूलाल पिता उदा जी कीर जाति कीर निवासी फौजवडली तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री गिरीश सोनी पिता राम प्रसाद जी सोनी जाति सोनी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री सुरेश पिता शिवनारायण जी चौबीसा जाति चौबीसा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
6. भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री राजमल मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 23.05.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा फौजवडली पटवार हल्का चारगंदिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2050–2053 कि खाता संख्या नया 31 की आराजी न. 137–138/1 रकबा 014 विस्वा 13 विस्वांशी एवं खाता संख्या नया 36 की आराजी न. 136/3 किता 1 रकबा 01 विस्वा 15 विस्वांशी खातेदारी हक से दर्ज है। यह उक्त अंकित कुषि भूमि में प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है जिसमें किसी अन्य का किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वपत्य आदि नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है।
2. यह कि उक्त भूमि के पडौसी विपक्षीगण प्रार्थी के आपसी सीमा को लेकर बेवजह लडाई झगडे करते रहते है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई सीमा संबंधी विवाद नहीं हो। अतः पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 3 ... विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ती नही जातई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबन्दी सम्वत 2050—2053 कि खाता संख्या नया 31 कि आराजी न. 137—138/1 रकबा 014 विस्वा 13 विस्वांशी एवं खाता संख्या नया 36 कि आराजी न. 136/3/1 किता 1 रकबा 01 विस्वा 15 विस्वांशी भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:37:59 IST
Reason: SelfAttested